न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/360/2021	15.12.2006	13.04.2022

बउनवान

1.सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर .
2.कर्नल रघुवीर सिंह पुत्र हरदेव सिंह मोती डूंगरी अलवर – वादी

बनाम

1. मु. ईमरती देवी बेवा मनोहरी बलाई नियाती गजकी तहसील अलवर
2. लक्ष्मी नारायण
3. ओमप्रकाश पुत्रान मनोहरी बलाई निवासी गुजको तहसील अलवर
4. मंग्या पुत्र मंगला बलाई निवासी गुजूकी तहतील अलवर
5. रतनलाल पुत्र देवाराम जाति जाटव केयर ऑफ चौधारी मैटरनिटी एण्ड – नर्सिंग होम, तलवण्डी, कोटा राजस्थान,
6. महेन्द्र शास्त्री भू.पू. विधायक पुत्र श्री ठाकुर सिंह चौधरी निवासी मोती डूंगरी अलवर का
7. हुकम चन्द
8. खेम चन्द
9. अजय चन्द
10. रूपचन्द पुत्रान पिटट्ल निवासी धौली दूब।
11. अमर चन्द
12. रमेश चन्द पुत्राान मूलिया निवासी धौली दूब।

– प्रतिवादीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 175
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: निर्णय :

तहसीलदार अलवर ने वाद अन्तर्गत धारा 175 राज0काश्त0अधि0 पेश किया। वाद ा सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है, कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लागायत 2 को खातेदारी की आराजी सरा नम्बर 60/12 रकबा 10.13 बीघा वाके ग्राम गुजूकी थी। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 की ातेदारी की आराजी खसरा नंबर 60/13 रकबा 3.5 बीघा वाके ग्राम गुजूकी तहसील अलवर थी। तेवादीगण संख्या 1 लागायत 3 ने अपना अपनी खातेदारी की अराजी खसरा नंबर 60/12 कबा 10.13 बीघा व 60/13 रकबा 3.5 बीघा का विक्रय रतनलाल पुत्र देवाराम जाटव मार्फत ोधरी मैटरनिटी एण्ड नर्सिंग होम तलवण्डी, कोटा राजस्थान को कर दिया । जिसका ामांतरकरण संख्या 462/19–1–1991 व 1/4–6–1992 दर्ज होकर क्रेता के पक्ष में स्वीकार हो के हैं। जिनका नोट जमाबन्दी संवत 2047 में अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

कथित विक्रय पत्रो और नामांतरकरणो की जांच से यह पाया गया है कि विक्रय पत्र तो ...लाल पुत्र देवाराम जाटव मार्फत चौधरी मैटरनिटी एण्ड नर्सिंग होम तलवण्डी, कोटा राजस्थान ...क्ष में हुआ है । किन्तु मौका जांच से यह स्पष्ट पाया गया कि आराजी खसरा नंबर 60/12 ...ा 10.13 बीघा व 60/13 रकबा 3.5 बीघा वाके ग्राम गुजूकी तहतील अलवर पर मौके पर ...विक कब्जा प्रतिवादी नंबर 4 श्री महेन्द्र शास्त्री भू.पू. विधायक का है। मौका जांच रिपोर्ट के ...पर मामला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन किया जाकर ... 175 के अंतर्गत आता है। श्रीमान फे समक्षा दावा अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी ...िनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 60/12 रकबा 10.13 ...ा व 60/13 रकबा 3.5 बीघा वाके ग्राम गुजूकी तहतील अलवर की डिक्री बहक राजस्थान ...कार प्रचलित की जावें और विवादित आराजीयात को कब्जे राज लिए जाने के आदेश प्रदान ...ये जावें। दादरसी जो बनजदीक न्यायालय हो अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किये गयें। प्रतिवादी संख्या 05 हाजिर अदालत होकर जवाब प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 60/12 रकबा 10.13 बीघा वाके ...म गुजुकी प्रतिवादी संख्या 01 लगा. 03 की खातेदारी की आराजी थी व 60/13 रकबा 3.5 ...घा प्रतिवादी संख्या 04 की खातेदारी की थी। खसरा नम्बर 60/12 रकबा 10.13 बीघा मीनाराम ...ओमप्रकाश व ईमरती देवी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। ईमरती देवी व ओमप्रकाश ...हैसियत खुद मुख्तयार आम मिन प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 02.01.1991 को ...विक्रय की। उक्त बयनामा दिनांक 02.01.1991 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 459 के पृष्ठ ...ंख्या 137 से 138 तक क्रम संख्या 08 पर पंजीबद्व किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ने खसरा ...बर 60/13 रकबा 3.5 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बय नामा 02.05.1991 को मिन प्रतिवादी के हक में ...ष्पादित कराई। और मिन प्रतिवादी के हक में अपने हकूक खातेदारी मुंतकिल करके कब्जा मौके ... दिया। वादी ने मिन प्रतिवादी की मौजूदगी में कोई जांच नही की। वादी ने बैबुनियाद व ...गढंत तथ्यो पर प्रतिवादी के विरूद्व वाद पेश किया है। मिन प्रतिवादी ने किसी भी प्रकार से ...ज0काश्त0अधि0 की धारा 42 का उल्लघन नही किया है। कानूनन तथाकथित जांच रिपोट ...डयन एविडेन्स एक्ट की किसी भी धारा के अन्तर्गत एडमिसिऐबिल इन ऐविडेन्स नही होती है। ...र न उसे बेसिस ऑफ शूट बनाया जा सकता है। इस आधार पर वाद मेन्टेनेबिल नही है। अतः ... खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में श्री हुकम चंद, खेम चंद, अजय चंद, रामचन्द्र, पुत्रान पिटट्ल ...ति जाटव, अमर चन्द रमेश चन्द पुत्रान मूलिया जाति जाटव ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र ...देश 01 नियम 10 जा0दी0 प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित साबिक खसरा नम्बर 60/12 ...बा 10.13 बीघा व 60/13 रकबा 3.5 बीघा वाके ग्राम गुजुकी जिसके हाल खसरा नम्बर 135 ...बा 0.03 है, 136 रकबा 1.10 है0, 140 रकबा 0.09 है0, 141 रकबा 0.80 है0 144/1375 रकबा ...3 कुल किता 05 रकबा 3.15 है0 वाके ग्राम गुजुकी को हम प्रार्थीगण जरिये बयनामा खरीद ...ा है। तथा हम प्रार्थीगण का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2067 के खाता नम्बर ...व 50 पर दर्ज हो चुका है। हम प्रार्थीगण मौके पर काबिज है। हम प्रार्थीगण बोनाफाईड पर्चेजर ...तथा जाति से जाटव है, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। मौके पर प्रार्थीगण काबिज ...र काश्त कर रहें है। दीगर किसी भी व्यक्ति का विवादित आराजी से कोई संबंध नही है। अतः ...ना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को प्रतिवादी संख्या 07 लगा. 12 दर्ज किया जाकर ...ना पक्ष रखने की इजाजत प्रदान की जावें। प्रा0प्रत्र आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 पर वकील ...ी की बहस सुनी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का ...सर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 07 लगा. 12 जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत ...ाजी को हम प्रतिवादीगण संख्या 07 लगा. 12 के द्वारा यानि प्रतिवादी संख्या 07 हुकम चन्द ... जरिये बयनामा दिनांक 22.07.2014, प्रतिवादी संख्या 08 खेम चन्द व प्रतिवादी संख्या 10 रूप ... द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 27.10.2014, प्रतिवादी संख्या 07 व 09 हुकम चन्द व अजय

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

के द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 27.06.2014, व प्रतिवादी संख्या 11 व 12 अमर चन्द व चन्द के द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 27.06.2014 को बयनामा में वर्णित अनुसार खरीद की है। जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2067 में अंकन है। उपरोक्त वर्णित मामला धारा 5 के अन्तर्गत नही आता है। वादी द्वारा गलत आधार पर उक्त कार्यवाही की गई है। जो ाफ मौका कब्जा वस्तु स्थिति व राजस्व रिकार्ड के विपरित है। दावा काबिले खारिज है।

मने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसूचित वर्ग की आराजी पर दीगर जाति के व्यक्तियों का कब्जा होने पर 0काश्त0अधि0 1955 की धारा 42 का उल्लघन मानते हुए 175 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर ाजी को कब्जे राज लिये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रकरण में तहसीलदार अलवर सें विवादित ाजी की मौके एवं रिकार्ड की रिर्पोट चाही गई। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिर्पोट ंक:-भू.अ./2014/4830 दिनांक 01.09.2014 भिजवाई। तहसीलदार अलवर ने अपनी मौका ट में अंकित किया है,कि ग्राम गुजूकी के हाल खसरा नम्बर ,136,140,141,144/1375,145/1376 में वर्तमान कृषि कार्य के लिए उपयोग में ली जा रही है। ान्तकरण संख्या 503 दिनांक 20.08.2014 से खातेदार गुड्डी देवी धर्म पत्नि मंगलराम जाति ी ने अपना खाता रहन फक करवा कर खातेदार गुड्डी द्वारा प्रश्नगत आराजी का बेचान अमर पुत्र मूलिया जाति जाटव निवासी धौली दूब हिस्सा 1/4 रमेश चन्द पुत्र मुलिया जाति जाटव ासी धौली दूब हिस्सा 1/4 हुकम चन्द, अजय चन्द पुत्रान पिट्टल जाति जाटव निवासी धौली हिस्सा 1/4, खेम चन्द, रूप चन्द पुत्रान पुत्रान पिट्टल जाति जाटव निवासी धौली दूब हिस्सा 4 को किया है। जिनके हक में इन्तकाल संख्या 504,505,506,507 दिनांक 09.09.2014 को दर्ज र अमल हो चुका है। खसरा नम्बर 145/1376 रकबा 0.38 है0 सतीश कुमार पुत्र मंगलराम ाई निवासी कटहेडा तहसील कठूमर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार अलवर की ा रिपोर्ट एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगा. 12 द्वारा कराये गये बयनामा के अधाार पर राज0 त0 अधि0 1955 की धारा 42 का उल्लघन होना प्रतीत नही होता है। प्रश्नगत आराजी के पूर्व ोदार अनुसूचित जाति के थें। एवं खरीददार प्रतिवादी संख्या 7 लगा. 12 भी अनुसूचित जाति व्यक्ति है। अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत आराजी की क्रय य करने पर धारा 175, राज.काश्त.अधि.1955 सिद्व नही होता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार ी द्वारा प्रस्तुत वाद रिकार्ड से सिद्व नही होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 175 राज.काश्त.अधि.1955 रिकार्ड से सिद्व होने पर खारिज किया जाता है।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर
अलवर

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर
अलवर